केनरा बैंक Canara Bank

शाखा कार्यालय – गुड़गांव डीएलएफ फेज़–3

कब्जा सूचना [धारा 13(4)] (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि : केनरा बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) (यहां इसके बाद "अधिनियम" के तौर पर संदर्भित) और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर नोटिस में वर्णित राशि **7,33,935.30 रुपये** (सात लाख तैंतीस हजार नौ सौ पैंतीस रुपये और तीस पैसे मात्र) के साथ उस पर ब्याज को अदा करने के लिए आमंत्रित करते हुए **उधारकर्ता 1. श्री राज करण यादव पुत्र श्री बनी सिंह यादव (उधारकर्ता) मकान नंबर 795/22, गांधी नगर गुड़गांव, हरियाणा– 122001 2. श्री धर्मबीर पुत्र श्री बनी सिंह यादव (गारंटर) मकान नंबर 795/22, गांधी नगर गुड़गांव, हरियाणा– 122001** को दिनांक **29.09.2025** को डिमांड नोटिस जारी किया था।

उधारकर्ता द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर उधारकर्ता व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **10 दिसंबर, 2025** को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन–देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन **7,33,935.30 रुपये** (सात लाख तैंतीस हजार नौ सौ पैंतीस रुपये और तीस पैसे मात्र) के साथ उस पर ब्याज के लिए **केनरा बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित परिसंपत्तियों को मुक्त करवाने के लिए समय उपलब्ध है।

अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति मकान नंबर 795/22, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है, और कवर्ड एरिया 200 वर्ग फुट है, जो गांधी नगर, गुड़गांव, हरियाणा – 122001 में स्थित है। संपत्ति की सीमाएँ: उत्तर: दूसरों की संपत्ति, दक्षिण: गली नंबर 03, पूर्व: सड़क, पश्चिम: दूसरों की संपत्ति।

दिनांक: 10.12.2025 **स्थान:** गुड़गांव **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

TRADEWELL HOLDINGS LIMITED

CIN: L74110DL1995PLC064237
Regd. Off: S-8 & S-2, DDA SHOPPING COMPLEX, OPP. POCKET-I, MAYUR VIHAR-I, DELHI -110091
Tel.: 011-22755819
Email Id: info@brandrealty.in, Website: https://www.brandrealty.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS
OPENING OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, a special window has been opened only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and rejected / returned / not attended, due to deficiency in the documents / process or otherwise. The re-lodgement window shall remain open for a period of six months i.e. from July 7, 2025 till January 6, 2026.

Eligible shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) within the above-mentioned period at the following address:
MUFG Intime India Private Limited
(Formerly known as Link Intime India Private Limited)
Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2
C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri,
New Delhi -110058
Ph No. 91-11-49411000
Fax No. 91-11-41410591
E-Mail : swapann@in.mpms.mufg.com; sunil.mishra@in.mpms.mufg.com;rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com.
Details on the above mentioned circular are available on the company's website. (https://www.brandrealty.in)

For Tradewell Holdings Limited
Sd/-
Uma Kumari
(Company Secretary)

Place: Delhi
Date: 16.12.2025

MANAPPURAM HOME FINANCE

मनप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड

पूर्व का मनप्पुरम होम फाइनेंस प्रा.लि. (सीआईएन : U65923KL2010PLC003179)
पंजीकृत कार्यालय : IV/470(ए (पुराना) डब्ल्यू638ए (नया), मणप्पुरम हाउस, वलपाड, त्रिशूर, केरल-680567 कॉर्पोरेट कार्यालय : मनप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड, तीसरी मंजिल, यूनिट नं. 301 से 315, ए विंग, कनकिया वॉल स्ट्रीट, अंधेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई 400093 महाराष्ट्र फोन नं. : 022-66211000, वेबसाइट : www.manappuramhomefin.com

मांग सूचना

जबकि मनप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय IV/470(ए (पुराना) डब्ल्यू638ए (नया), मणप्पुरम हाउस, वलपाड, त्रिशूर, केरल-680567 का अधिकृत प्राधिकारी और चार्ज में विधिवत स्थायी ऋण सुरक्षा है (जिसे इसके बाद "महोफिन" कहा जाएगा) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के उपखंड (iv) के अर्थ में एक वित्तीय संस्थान है (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) दिनांक 18 दिसंबर, 2015 की चार्ज सुरक्षा, जिसके सेवाएं विभाग, जिला गंजाम, नई दिल्ली द्वारा नहीं अभिलुप्त संख्या एस.सी. 3466 (1) के साथ पठित, जो अन्य चार्जों के साथ-साथ अग्रिम इकाइयों के निर्माण और/या खरीद के लिए ऋण देने का व्यवहार करता है और जबकि नीचे उल्लिखित पार्टी के कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों ने महोफिन से ऋण प्राप्त किया और शर्तें महोफिन सरकैसी अधिनियम के तहत प्रतिभूति ब्याजदार है, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि को उस पर आस्थित ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहते हुए नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को मांग सूचना जारी की, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को सूचना जारी नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, नीचे उल्लिखित कर्जदारों की जानकारी के प्रयोजनार्थ, उक्त कर्जदारों को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

क्र	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम/लोन/उपखाता	उस प्रतिभूत आस्ति का विवरण जिसके संबंध में ब्याज शुल्क किया गया (यदि एक से अधिक संपत्ति हो तो प्रत्येक संपत्ति का विवरण दिया जाए)	एनपीए की तिथि	मांगी गई सूचना की तिथि तथा बकाया राशि
1	सुनीता देवी, महेश कुमार, बंटी चन्द्र, **MHL01050020276/** अलवर	उस प्रतिभूत आस्ति का विवरण जिसके संबंध में ब्याज शुल्क किया गया (यदि एक से अधिक संपत्ति हो तो प्रत्येक संपत्ति का विवरण दिया जाए) खसरा नंबर 037, संकल्प संख्या 241(1), ग्राम पंचायत मालाखेड़ा, पंचायत समिति थानागाजी, अलवर, राजस्थान, पिन-301024 क्षेत्रफल 125.00 वर्ग गज पूर्व- गली की खुली जमीन और ग्राम रास्ता, पश्चिम-गली की खुली जमीन, दक्षिण-ग्राम रास्ता, उत्तर-सुरेश का घर	15-11-2025	20-11-2025 तक रु. 312976/-
2	पानवती देवी, महेंद्र सिंह चौहान, **MHL01050032487/** अलवर	प्लॉट पट्टा नंबर 04, संकल्प नंबर 02, गाँव नांगल लालसा, ग्राम पंचायत नांगल सैनी पंचायत समिति कोटकासिम, अलवर, राजस्थान, पिन: 301712 क्षेत्रफल 223.54 वर्ग गज पूर्व-ब्रह्मदुत्त का घर, पश्चिम-अनिल का घर, दक्षिण-रास्ता का घर, उत्तर-ग्राम रास्ता	15-11-2025	20-11-2025 तक रु. 422844/-
3	लेखी राजेंद्र, राजेंद्र कुमार, **/MHL01050032811/** अलवर	प्लॉट पट्टा नंबर 011, संकल्प नंबर 03(iii) ग्राम पंचायत पोसोई, पंचायत समिति रामगढ़, अलवर, राजस्थान, पिन: 301030 क्षेत्रफल 200.00 वर्ग गज, पूर्व: राम शिलाड़ी का घर, पश्चिम-ग्राम रास्ता, दक्षिण सुरेश का घर, उत्तर-अशोक का घर	15-11-2025	20-11-2025 तक रु. 413262/-
4	ममता, सतीश, शिव खंडेड़ा, **NHL01050039985/** अलवर	प्लॉट नंबर 035, क्षेत्रफल 168.05 वर्ग गज, खसरा नंबर 179, ग्राम पंचायत बगास, पंचायत समिति कोटकासिम, अलवर, राजस्थान, पिन: 301702, पूर्व-ग्राम रास्ता, पश्चिम-ग्राम रास्ता, दक्षिण-श्री नंदा राम, उत्तर- ग्राम रास्ता	15-11-2025	21-11-2025 तक रु. 379991/-
5	सुरजी, भोरी राम, नवल सिंह, **/NHL01050040315/** अलवर	प्लॉट पट्टा नंबर 03, क्षेत्रफल 99.00 वर्ग गज, ग्राम पंचायत तालेन्दा, पंचायत समिति नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान, पिन: 321205, पूर्व-मायदेव का घर, पश्चिम-पीतम का घर, दक्षिण-ग्राम रास्ता, उत्तर-पीतम का घर	15-11-2025	21-11-2025 तक रु. 113506/-
6	रामकेश यादव, कल्ला देवी, **NHL00520049940/** जयपुर	प्लॉट पट्टा नंबर 47 पर, क्षेत्रफल 60.66 वर्ग गज, ग्राम कुदूकलां, जी.आर. खुलसा, पंचायत समिति सलमाड़, जिला अलवर, राजस्थान, पिन: 301410, पूर्व-ग्राम रास्ता, पश्चिम-रास्ते के बाद सांवरिया गुर्जर का घर, दक्षिण-गली के बाद नारायण गुर्जर का घर, उत्तर-रास्ते के बाद बाबूलाल महावर और शिवराम गुर्जर का घर	15-11-2025	21-11-2025 तक रु. 521595/-

अतः, उपर उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उन्हें इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार के विरुद्ध उपर उल्लिखित के अनुसार कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार द्वारा आगे के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल होने पर, महोफिन उपर वर्णित संपत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के लिए धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा, अधिनियम और इसके तहत निर्मित नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से नोटिस की सर्विस के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त संपत्ति की समीक्षा अधिनियम की धारा 13(8) में विस्तृत रूप से सार्वजनिक नीलामी या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए निजी संधि के लिए, नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय महोफिन को देय संपूर्ण राशि के भुगतान पर भुनाया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि सरकैसी अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आपको प्रतिभूत संपत्तियों को किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से स्थानांतरित करने और/या उनके संव्यवहार से रोका जाता है।
कृपया ध्यान दें कि सरकैसी अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आपको प्रतिभूत संपत्तियों को किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से स्थानांतरित करने और/या उनके संव्यवहार से रोका जाता है।

दिनांक: 17 दिसम्बर, 2025 **स्थान:** राजस्थान हस्ता./- **प्राधिकृत अधिकारी, मनप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड**

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
इलाहाबाद पीठ के समक्ष, प्रयागराज
मूल कंपनी क्षेत्राधिकार
कंपनी याचिका सीपी (सीएए) संख्या 34/एएलडी/2025
साथ जुड़े
कंपनी आवेदन सीए (सीएए) संख्या 30 / एएलडी / 2025
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 और 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के मामले में
तथा
समामेलन की योजना के मामले में

टिनटिन कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डबल्यू यस ए 39, बी -128, पहली मंजिल, सेक्टर-2, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा – 201301 (उत्तर प्रदेश) में है और जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U51909UP2012PTC069823 है, जो इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार में है। .....**याचिकाकर्ता हस्तान्तरणकर्ता कंपनी**

साथ

दिल्ली एनसीआर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 512-513, सिटी सेंटर, 63/2, द मॉल, कानपुर – 208004 (उत्तर प्रदेश) में है और इसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U74900UP2004PTC049265 है, जो इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार में है। .....**याचिकाकर्ता हस्तान्तरित कंपनी**

(संक्षिप्तता के लिए, याचिकाकर्ता हस्तान्तरणकर्ता कंपनी और याचिकाकर्ता हस्तान्तरित कंपनी को को इसके बाद याचिकाकर्ता कंपनियों के रूप में सन्दर्भित किया गया है)

याचिका की सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत कंपनी आवेदन CA (CAA) No. 30 / ALD / 2025 से सम्बंधित एक कंपनी याचिका CP (CAA) No. 34 / ALD / 2025 (याचिका) टिनटिन कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता हस्तांतरणकर्ता कंपनी) का दिल्ली एनसीआर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता हस्तांतरित कंपनी) (जिन्हे सामूहिक रूप से याचिकाकर्ता कंपनियां) कहा जाता है में विलय की योजना को मंजूरी देने के लिए याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया और 4 दिसंबर, 2025 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण इलाहाबाद पीठ (अधिकरण) द्वारा सुनवाई की गयी। उक्त याचिका का 4 दिसंबर, 2025 के अधिकरण के आदेश के अनुसार माननीय अधिकरण के समक्ष 29 जनवरी, 2026 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है।

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सम्बंधित याचिकाकर्ता कम्पनियों को उनके सम्बंधित पंजीकृत कार्यालयों में अपने इरादे की सूचना अपने या अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित अपने नाम और पते के साथ भेजनी चाहिए ताकि यह माननीय अधिकरण और याचिकाकर्ता कंपनियों को उनके पंजीकृत कार्यालयों में माननीय अधिकरण द्वारा निर्धारित सुनवाई की तिथि अर्थात 29 जनवरी, 2026 को या उससे पहले पंहुच जाये। जहाँ ऐसा व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है, तो एक हलफनामे द्वारा समर्थित विरोध के आधार ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत किये जाएंगे याचिका की एक प्रति अथोहस्ताक्षरित द्वारा किसी भी व्यक्ति को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(डॉ. अतुल अग्रवाल)
निदेशक
डीआईएन: 00153186

दिनांक: 16.12.2025 याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि

YES BANK

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय : यस बैंक भवन, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सांताक्रुज पूर्व, मुंबई – 400055, **भारत, वेबसाइट :** www.yesbank.in, **ई–मेल :** communications@yesbank.in, **सीआईएन : एल65190एमएच2003पीएलसी143249**

सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना का प्रकाशन

एतद्द्वारा अधोवर्णित उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि वे बैंक से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन एवं ब्याज का प्रतिभुगतान करने में चूक कर चुके हैं तथा उनके सुविधाओं के खाते, अनार्जनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिये गये हैं। इस संबंध में उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञातव्य पतों पर सूचना निर्गत की गयीं थीं किंतु वे वापस लौट आयी थीं और वितरित नहीं हो पायी थीं तथा अतः उन्हें अब उन सूचनाओं के बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है

उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, बंधककर्ताओं के नाम, खाता संख्या	प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण	13(2) सूचना के अनुसार बकाया	एनपीए तिथि / सूचना तिथि
1. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री श्याम कुमार, पता– 5/74, भू तल, सेक्टर– 5, कामना वैशाली अर्थात् साहिबाबाद, गाजियाबाद– 201010 ("उधारकर्ता तथा बंधककर्ता"), **2. श्रीमती शिखा पुत्री श्री दया प्रसाद,** पता– 5/74, भू तल, सेक्टर–5, कामना वैशाली अर्थात् साहिबाबाद, गाजियाबाद– 201010 ("सह–उधारकर्ता") **खाता सं.:** AFH000300576911 **ऋण का प्रकार :** आवास ऋण सुविधा	फ्लैट नं. 5/74 के समस्त भाग तथा अंश, जो भू तल पर छताधिकार के बिना, कामना कॉलोनी, सेक्टर– 5, वैशाली, गाजियाबाद में स्थित तथा श्री मनोज कुमार के स्वामित्वधारण में है।	रु. 17,90,573.88/– (रुपये सत्रह लाख नब्बे हजार पांच सौ तिहत्तर तथा अट्ठासी पैसे मात्र) 04.12.2025 के अनुसार	13 जून 2025 / 10 दिसंबर 2025

कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर उक्त 60 दिवसों के समापन के उपरांत सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत भविष्य की कार्यवाहियां की जायेंगी।
इसके अतिरिक्त, यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 (8) के अंतर्गत, यदि हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि सार्वजनिक नीलामी/बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि से पहले किसी भी समय प्रस्तुत की जाती है, तो बिक्री पूरी नहीं होगी तथा प्रतिभूत परिसंपत्ति हमारे द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, तथा उस प्रतिभूत परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई अन्य क्रियान्वयन नहीं किया जायेगा।

दिनॉक : 17-12-2025, स्थान : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) यस बैंक लिमिटेड**

ओंकारा असेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय :– सी/515, कनकिया जिलियन, एलबीएस रोड तथा सीएसटी रोड का जंक्शन, बीकेसी अनेक्सी, निकट इक्विनोक्स, कलीना, कुर्ला (वेस्ट), मुंबई–400070

परिशिष्ट 4 नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल), एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है, और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (सरफासी अधिनियम, 2002) की धारा 3 के तहत एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में विधिवत पंजीकृत है। यह कि समनुदेशक (कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड) ने समनुदेशक और ओएआरपीएल के बीच 30 सितंबर 2024 को हुए समनुदेशन अनुबंध के माध्यम से उक्त वित्तीय सहायता, प्रतिभूत आस्तियां गारंटी और किसी भी अन्य अंतर्निहित प्रतिभूति हित के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वत्वाधिकार, हित और उक्त अनार्जक आस्तियों (जिन्हें आगे वित्तीय संपत्तियों के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के संबंध में अपने सभी अन्य अधिकार, स्वत्वाधिकार और हितों को ओमकारा पीएस16/2024–25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता से कार्य करते हुए ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में समनुदेशित कर दिया है और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना जारी की है। कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के साथ प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ओमकारा पीएस16/2024–25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने वाले ओएआरपीएल के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर का ध्यान प्रतिभूत आस्ति छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/गारंटर (रों) का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	कब्जा सूचना की तिथि
1	(ऋण खाता संख्या LNMENOI000015773 (पुरानी) 80400005902639 (नयी) आगरा शाखा) स्वर्गीय हरि ओम (कर्जदार) श्रीमती सरिता एच (सह–कर्जदार)	01–08–2025 रु. 13,95,639/–	महादेवी नगर, सराय हज्जाम के पास, मौजा नरायच, तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश – 282006, खसरा संख्या 942 के अंतर्गत सम्पूर्ण संपत्ति, क्षेत्रफल 85 वर्ग गज। इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व – मोहन लाल शर्मा का प्लॉट; पश्चिम – रामवीर सिंह का मकान; उत्तर – 15 फीट चौड़ा रास्ता; और दक्षिण – श्रीमती सुमन का मकान।	12–12–2025
2	(ऋण खाता संख्या LNMEFRD000019152 (पुरानी) 80500005619949 (नयी) फरीदाबाद शाखा) श्री लखमी चंद अधाना (कर्जदार) स्वर्गीय श्रीमती दयावती एल., अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से (सह–कर्जदार)	01–08–2025 रु. 16,72,464/–	संपत्ति/भूमि और भवन का वह समस्त भाग जिसमें मुस्तितिल संख्या 87, किला संख्या 31, खेवट संख्या 1, खतौनी संख्या 1, मुस्त. संख्या 87, किला संख्या 30, 36, 38, मुस्तितिल संख्या 106, किला संख्या 6, 7, 14, 15, 16/1, 17, 24, 25/2, मुस्तितिल संख्या 110, किला संख्या 10/3, 21/1, 21/2, मुस्तितिल संख्या 111, किला संख्या 4/2, 5, 6, 7/1, 14/2/2, 15, 16, 17/1, 24/2, 25 आदि शामिल हैं, जो मौजा तिगांव, उप–तहसील तिगांव, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा – 121101 में स्थित है, क्षेत्रफल 305 वर्ग गज, सीमा इस प्रकार है:–	11–12–2025

स्थान : फरीदाबाद, आगरा
तिथि : 17–12–2025

हस्ता./–, (प्राधिकृत अधिकारी)
वास्ते ओंकारा असेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओंकारा पीएस16/2024–25 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत)

---

ansal API

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के तहत)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L45101DL1967PLC004759
पंजीकृत कार्यालय : 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001
मोबाइल : 91–8744097501, टेलीफोन : 011–23353550, 011–66038308;
वेबसाइट : www.ansalapi.com; ईमेल : shareholderservice@ansalapi.com

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रू. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	पृथक्कृत			
		तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त
		30–06–2025 (अलेखापरीक्षित)	31–03–2025 (अलेखापरीक्षित)	30–06–2024 (अलेखापरीक्षित)	31–03–2025 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	1,277	15,607	8,323	64,644
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	1,332	(113,308)	326	(125,710)
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले, (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	1,332	(151,660)	326	(171,021)
4	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	1,321	(143,391)	357	(162,933)
5	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [इसमें अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) शामिल है]	1,336	(143,439)	379	(162,916)
6	इक्विटी शेयर पूंजी	7,870	7,870	7,870	7,870
7	आरक्षित (पुनरमूल्यन आरक्षित छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है	-	-	-	(169,492)
8	प्रति शेयर अर्जन (रू. 5/– प्रत्येक का) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु)				
	1. मूल	0.84	(91.10)	0.23	(103.51)
	2. तनुकृत	0.79	(85.65)	0.21	(97.33)

नोट : उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु अ–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त रूप है। उक्त पृथक्कृत वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट्स **www.nseindia.com, www.bseindia.com** तथा कम्पनी की वेबसाइट **"https://www/ansalapi.com/disclosures-under-regulation-46-of-the-lodr.php"** पर उपलब्ध है तथा क्यूआर कोड स्कैन करके देखा जा सकता है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 दिसंबर 2025

कृते अंसल प्रॉपर्टीज ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
(कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के तहत)
हस्ता./–
(प्रणव अंसल)
(निलम्बित अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक)
डीआईएन–00017804

ई–नीलामी/बिक्री सूचना

PAISALO EASY LOAN आसान लोन

पैसालो डिजिटल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: सीएससी, पॉकेट–52, पुलिस स्टेशन के पास, सीआर पार्क, नई दिल्ली–110019, मुख्य कार्यालय: पैसालो हाऊस, 74, गाँधी नगर, एनएच–2, आगरा–282003 (उ०प्र०) वेबसाईट: **www.paisalo.in**, ई–मेल: **legal@paisalo.in**

सार्वजनिक ई–नीलामी/बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) सपठित नियम 6, नियम 8 व नियम 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) 2002 के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी सूचना।

इस नोटिस द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणधारी और गारण्टरों/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित बंधकशुदा अचल सम्पत्ति जो कि नीचे वर्णित ऋण खातों में बकाया धनराशि की सुरक्षित अदायगी हेतु पैसालो डिजिटल लिमिटेड की गिरवी/प्रभारित की गई है तथा जो कि सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सामर्थ्य में कार्य कर रही है जिसका भौतिक कब्जा पैसालो डिजिटल लिमिटेड सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, उसे "जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नानुसार बेचा जाएगा।

ऋणधारी/गारण्टर्स/बंधककर्ता के नाम	बकाया धनराशि का विवरण	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित धनराशि (रूपयों में)	बोली प्रक्रिया में न्यूनतम वृद्धि (रूपयों में)
ऋणधारी मै० रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पंजी० कार्या०: फ्लैट नं० 2, प्रथम तल, एफ–50बी, मधु विहार एक्सटेंशन, पटपड़गंज, नई दिल्ली–110092 एवम् 27/18, राजा राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ–226001 (उ०प्र०) और **गारण्टर्स (1) श्री पंकज रस्तोगी पुत्र श्री जवाहर लाल रस्तोगी** निवासी 14/1, जॉपलिंग रोड, लखनऊ–226001 (उ०प्र०) **(2) श्री परेश रस्तोगी पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र रस्तोगी** निवासी म०नं० 803, रोहतास कोर्ट, गोखले मार्ग, लखनऊ–226001 (उ०प्र०) **(3) श्री पीयूष रस्तोगी पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र रस्तोगी** निवासी 14/1, जॉपलिंग रोड, लखनऊ–226001 (उ०प्र०) **(4) मै० औरा टाऊन प्लानर्स प्राईवेट लिमिटेड (द्वारा निदेशक)** पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं० 2, प्रथम तल, एफ–50बी, मधु विहार एक्सटे